

14.03.2026

यह प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष अंतिम निराकरण हेतु रखा गया है ।

प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत है ।

अभियुक्त के द्वारा पूर्व में अपराध स्वीकार किये जाने से निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में समरी शीट में पारित किया जा चुका है ।

अभियुक्त के द्वारा अर्थदण्ड की राशि भी पूर्व में अदा की जा चुकी है ।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन स्वामी को प्रदान किया जा चुका है । चूंकि प्रकरण का अंतिम निराकरण किया जा रहा है । अतः उक्त वाहन मूल वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित माना जावे।

प्रकरण में वर्तमान में कोई कार्यवाही शेष नहीं है ।

अतः प्रकरण की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त घोषित की जाती है ।

प्रकरण समाप्त ।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेख व्यवस्थित कर नियत समयावधि के भीतर अभिलेखागार प्रेषित किया जावे ।

सही/-

प्रणव वैद्य

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

जिला- बिलासपुर, (छ.ग.)